



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232430
CG-DL-E-05012022-232430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]
No. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 202 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 के नियम-3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

“पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में-

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-15 (1,88,200 – 2,24,100 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-4 में वेतनमान 37,400-67,000 रु. और ग्रेड वेतन 10,000 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (1,44,200 – 2,18,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) खान सुरक्षा उप महानिदेशक (खनन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-14 (1,44,200 – 2,18,200 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-4 में वेतनमान 37,400-67,000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ग) खान सुरक्षा निदेशक (खनन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन, - क्रम संख्या क (ii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन के टिप्पण का लोप किया जाएगा;

(घ) खान सुरक्षा उप महानिदेशक (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-14 (1,44,200 – 2,18,200 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-4 में वेतनमान 37,400-67,000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100 -2,15,900 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ड.) खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्या 6, के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन-

(क) “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन- क्रम संख्या क (ii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन के टिप्पण का लोप किया जाएगा;

(च) खान सुरक्षा निदेशक (यांत्रिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन-

(क) “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु.” शब्दों, और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. तथा ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन के टिप्पण का लोप किया जाएगा;

(छ) खान सुरक्षा उप-निदेशक (उप-जीविकाजन्य) के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन-

(क) “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या (ii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) “प्रतिनियुक्ति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन के टिप्पण का लोप किया जाएगा;

(ज) खान सुरक्षा सहायक निदेशक (उप-जीविकाजन्य) श्रेणी 1 के पद में संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)”

(झ) निदेशक (प्रशासन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-13 (1,23,100 – 2,15,900 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या (ii) और (iii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 – 2,09,200 रु.)” “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 और 4 का लोप किया जाएगा;

(ज) उप-निदेशक (प्रशासन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन-

(क) वेतन बैंड – 2 के वेतनमान “9300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 – 1,42,400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रतिनियुक्ति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन- क्रम संख्या क (ii) और (iii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 – 1,77,500 रु.) वेतन बैंड – 2 के वेतनमान 9300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 – 1,42,400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) “प्रतिनियुक्ति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ट) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 14 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) और (iii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर –10 (56,100-1,77,500 रु.)” “वेतन बैंड –2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-7 (44,900 – 1,42,400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 1 में, “वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतनमान में स्तर (53,100-1,67,800 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) टिप्पण 2 और 3 का लोप किया जाएगा।

(ठ) सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-10 (56,100 – 1,77,500 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति और समामेलन” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) और (iii) में “वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर –8 (47,600-1,51,100 रु.)”, “वेतन बैंड – 2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900 – 1,42,400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 और 3 का लोप किया जाएगा।

(ड) पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) और (iii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.”, शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर –10 (56,100-1,77,500 रु.)” “वेतन बैंड – 2 में वेतनमान 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 – 142400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 1 और 2 का लोप किया जाएगा।

(ड) ज्येष्ठ विधि अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने -

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर

(4)
स्तर-11 (67,700 – 2,08,700 रु.)

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) में “वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर –10 (56100-177500 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा।

(ण) विधि अधिकारी श्रेणी-I के पद से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने –

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-10 (56,100 – 1,77,500 रु.)

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) “प्रोन्नति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन-

(क) “वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

(ख) “प्रतिनियुक्ति” से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन क्रम संख्या क (ii) में “वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) टिप्पण का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. ए.12018/01/2021-आईएसएच II]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य नियम भारत राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 294 द्वारा तारीख 20 दिसंबर, 2013 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2022

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Mines Safety (Group ‘A’ posts) Recruitment Rules, 2013, namely: -

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Mines Safety (Group ‘A’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For Rule-3 of the Directorate General of Mines Safety (Group A posts) Recruitment Rules, 2013, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.- The number of said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the Schedule to the Directorate General of Mines Safety (Group A posts) Recruitment Rules, 2013,-

(A) against serial number 1, relating to the post of Director General of Mines Safety,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-15 (Rs. 188200-224100)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures “Pay Band-4 in the pay scale of Rs. 37400-67000 and Grade Pay of Rs. 10000/-” the words, brackets and figures, “Level-14 (Rs. 144200-218200) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(B) against serial number 2, relating to the post of Deputy Director General of Mines Safety (Mining),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-14 (Rs. 144200-218200)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures “Pay Band-4 in the pay scale of Rs. 37400-67000 and Grade Pay of Rs. 8700/-” the words, brackets and figures “Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(C) against serial number 3, relating to the post of Director of Mines Safety (Mining),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-13 (Rs. 123100-215900)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures “Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-” the words, brackets and figures, “Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(b) under the sub-heading relating to “Deputation”,- in serial number A(ii) for the words, brackets and figures “Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-” the words, brackets and figures, “Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(c) under the sub-heading relating to "Deputation", Note shall be omitted;

(D) against serial number 5 relating to the post of Deputy Director General of Mines Safety (Electrical),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-14 (Rs. 144200-218200)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures “Pay Band-4 in the pay scale of Rs. 37400-67000 and Grade Pay of Rs. 8700/-” the words, brackets and figures, “Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(E) against serial number 6 relating to the post of Director of Mines Safety (Electrical),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-13 (Rs. 123100-215900)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures, “Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-” the words, brackets and figures “Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(b) under the sub-heading relating to "Deputation", - in serial number A (ii) for the words, brackets and figures, "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-" the words, brackets and figures "Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix" shall be substituted.

(c) under the sub-heading relating to "Deputation", Note shall be omitted;

(F) against serial number 8 relating to the post of Director of Mines Safety (Mechanical),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-13 (Rs. 123100-215900)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion", -

(A) for the words, brackets and figures, "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-" the words, brackets and figures "Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(b) under the sub-heading relating to "Deputation", - for the serial number A(ii) for the words, brackets and figures, "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-" the words, brackets and figures "Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(c) under the sub-heading relating to "Deputation", Note shall be omitted;

(G) against serial number 10 relating to the post of Deputy Director of Mines Safety (Occupational Health),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-12 (Rs. 78800-20200)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion", -

(A) for the words, brackets and figures, "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 6600/-" the words, brackets and figures "Level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) under the sub-heading relating to "Deputation", - in serial number (ii) for the words, brackets and figures, "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 6600/-" the words, brackets and figures "Level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix or equivalent" shall be substituted;

(c) under the sub-heading relating to "Deputation", Note shall be omitted;

(H) against serial number 11 relating to the post of Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade I,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-11 (Rs.67700-208700)”,

(I) against serial number 12 relating to the post of Director (Administration),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-13 (Rs. 123100-215900)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion or Deputation (Including short-term contract)",- in serial number (ii) and (iii) for the words, brackets and figures “Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600/-” the words, brackets and figures, “Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix”, “Pay Band-3 in pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 6600/-” the words, brackets and figures “Level-11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(b) Note 2 and 4 shall be omitted;

(J) against serial number 13 relating to the post of Deputy Director (Administration),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-11 (Rs.67700-208700)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures “Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600/-” the words, brackets and figures “Level-7 (Rs.44900-142400)” in the Pay Matrix shall be substituted;

(B) Note 3 shall be omitted;

(b) under the sub-heading relating to “Deputation”,- in serial number a(ii) and (iii) for the words, brackets and figures “Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400/-” the words, brackets and figures “Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix”, “Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600/-” the words, brackets and figures “Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(c) under the sub-heading relating to "Deputation", Note 2 shall be omitted;

(K) against serial number 14 relating to the post of Senior Accounts Officer,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level-11 (Rs.67700-208700)”,

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion/ Deputation (including short term contract)",- in serial number a(ii) and (iii) for the words, brackets and figures "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400/-" the words, brackets and figures "Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix", "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600/-" the words, brackets and figures "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted.

(b) In Note 1, for the words, brackets and figures "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 5400/-" the words, brackets and figures Level- (Rs. 53100-167800) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(c) Note 2 and 3 shall be omitted;

(L) against serial number 15 relating to the post of Assistant Director (Official Language),-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-10 (Rs.56100-177500)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to " Promotion or Deputation and Absorption ",- in serial number a(ii) and (iii) for the words, brackets and figures "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4800/-" the words, brackets and figures, "Level-8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix", "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600" the words, brackets and figures, "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) Note 2 and 3 shall be omitted;

(M) against serial number 16 relating to the post of Library and Information Officer,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-11 (Rs.67700-208700)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion or Deputation (including short term contract)",- in serial number a(ii) and (iii) for the words, brackets and figures "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400/-" the words, brackets and figures "Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix", "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600/-" the words, brackets and figures "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) Note 1 and 2 shall be omitted;

(N) against serial number 17 relating to the post of Senior Law Officer,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-11 (Rs.67700-208700)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion or Deputation",- in serial number a(ii) for the words, brackets and figures "Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-34800 and Grade Pay of Rs. 5400/-" the words, brackets and figures "Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) Note 1 shall be omitted;

(O) against serial number 18 relating to the post of Law Officer Grade-I,-

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-10 (Rs.56100-177500)",

(ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading relating to "Promotion",-

(A) for the words, brackets and figures "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600" the words, brackets and figures "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) Note 2 shall be omitted;

(b) under the sub-heading relating to "Deputation", in serial number a(ii) for the words, brackets and figures "Pay Band-2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600/-" the words, brackets and figure "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted.

(c) Note shall be omitted;

[F.No. A.12018/01/2021-ISH II]
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 294 dated 20th December, 2013.